प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

योजना की विशेषताएं:-

1. माननीय प्रधान मंत्री वित्तीय समावेशन के संबंध में राष्ट्रीय मिशन को **प्रधान मंत्री जन धन योजना** के रूप में 28 अगस्त, 2014 को आरंभ करेंगे।
2. यह मिशन दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा।
3. चरण – I 15 अगस्त, 2014 से 14 अगस्त, 2015 तक

(i) उचित दूरी के भीतर बैंक शाखा या निर्धारित स्थान व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) के जरिए पूरे देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता।

(ii) सभी परिवारों को रूपे डेबिट कार्ड सहित कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता उपलब्ध कराना, जिसमें 1 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा अंतर्निहित हो। इसके अलावा, 6 माह तक खाते के संतोषजनक संचालन के पश्चात् आधार समर्थित खातों को 5000/- रूपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा की भी अनुमति दी जाएगी।

(iii) वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य वित्तीय साक्षरता को गांव स्तर तक ले जाना होगा।

(iv) इस मिशन में लाभार्थियों के बैंक खातों के जरिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की भी परिकल्पना की गई है।

(v) किसान क्रेडिट कार्ड को भी रूपे किसान कार्ड के रूप में जारी किए जाने की इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाने का प्रस्ताव है।

4. चरण - II 15 अगस्त, 2015 से 14 अगस्त, 2018 तक

(i) लोगों को सूक्ष्म बीमा उपलब्ध कराना।

(ii) व्यवसाय प्रतिनिधियों के जरिए स्वावलंबन जैसी असंगठित क्षेत्र पेंशन योजनाएं

5. इस कार्यक्रम में मुख्य बदलाव पूर्व में ग्राम लक्षित कार्यक्रम के बदले परिवारों को लक्षित करना है। इसके अलावा, इस समय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर किया जा रहा है जबकि पहले केवल ग्रामीण क्षेत्रों को ही लक्षित किया गया था। मौजूदा योजना में वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले मिशन के जरिए निगरानी पर विशेष जोर देते हुए डिजिटल वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है।
6. माननीय प्रधान मंत्री इस योजना का आरंभ 28 अगस्त, 2014 को सायं 4.00 बजे दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के समारोह में करेंगे। योजना को दिल्ली में आरंभ करने के समारोह के अलावा इसे राज्यों की राजधानियों एवं मुख्य शहरों तथा जिला मुख्यालयों में भी आरंभ करने का समारोह साथ-साथ आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा, बैंकों की शाखाओं को आबंटित क्षेत्र में कैम्प भी आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तर पर योजना को आरंभ करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया है।

****